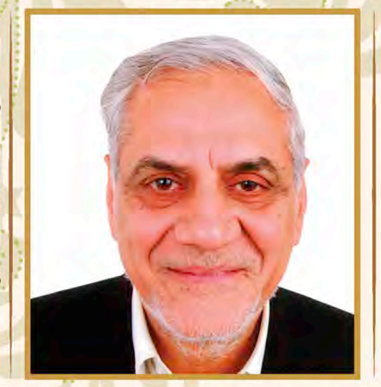

श्री महेश चन्द्र मेहता

Shri Mahesh Chander Mehta



पद्म श्री

Padma Shri



राष्ट्रपति से अलंकरण प्राप्त करते हुए

Receiving the decoration from the President

श्री महेश चन्द्र मेहता

श्री महेश चन्द्र मेहता, पेशे से एक वकील ओर रूचि से एक समर्पित पर्यावरणविद् हैं। आपका मिशन पर्यावरण, लोगों के स्वास्थ्य और जीवन तथा सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना है। आप भारत में पर्यावरणीय संरक्षण के लिए कानूनी सक्रियता के प्रणेता हैं।

2. आपका जन्म 12 अक्तूबर, 1946 को हुआ। आपने परास्नातक की पढ़ाई राजनीति विज्ञान में की और जम्मू विश्वविद्यालय से कानून (बैचलर ऑव ला) की शिक्षा प्राप्त की तथा जम्मू एवं कश्मीर उच्च–न्यायालय में प्रैक्टिस करने लगे। जम्मू में अपने प्रवास के दौरान आप सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलनों में भी सक्रिय रहे।

3. आपकी पर्यावरण–विधिक क्षेत्र की यात्रा 1983 में आरंभ हुई, जब आपने अपनी प्रैक्टिस भारत के सर्वोच्च न्यायालय में आरंभ की। वर्ष 1984 की शुरूआत में, आप पहली बार ताजमहल देखने गए जहां आपने पाया कि समीप के उद्योगों से होने वाले वायु प्रदूषण के कारण उक्त स्मारक का रंग पीला होता जा रहा है। इसने आपको वर्ष, 1984 में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ताजमहल के संरक्षण के लिए अपना पहला पर्यावरणीय मुकदमा दायर करने के लिए प्रेरित किया और प्रदूषण से लोगों के जीवन और स्वास्थ्य की सुरक्षा करने के अलावा चार अन्य विश्व धरोहर के स्थलों तथा ताज के समलम्ब खड़े 250 से अधिक राष्ट्रीय एवं राज्य संरक्षित स्मारकों, लगभग 10400 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र संरक्षण के साथ–साथ ताजमहल के संरक्षण के लिए ऐतिहासिक निर्णय/आदेश पाने में आप सफल हुए।

4. आपके अन्य युगान्तरकारी मुकदमों में गंगा के प्रदूषण का मामला, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर बड़ी संख्या में उद्योगों को बंद किया गया/स्थानांतरित किया गया और बहि:स्राव उपचार संयंत्र स्थापित किए गए तथा गंगा बेसिन में स्थित 250 से ऊपर शहरों/नगरों में मल जल उपचार संयंत्र लगाने के आदेश किए गए। वाहनों से होने वाले प्रदूषण के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में शीशा रहित पेट्रोल मुहैया कराने का आदेश दिया वाहनों के लिए भारत मानक–4 का अनुपालन तथा वाहनों के लिए सी एन जी और एल पी जी का ईंधन के रूप में प्रयोग दिल्ली को विश्व का ऐसा पहला शहर बनाने की ओर अग्रसर कर रहे हैं, जहां पूरा का पूरा सार्वजनिक परिवहन सी एन जी पर चलेगा। पर्यावरण की शिक्षा के मामले में, शीर्ष अदालत ने यह आदेश किया कि प्रत्येक सिनेमा थियेटर, अपने प्रत्येक शो में पर्यावरण पर आधारित दो स्लाइडें मुफ्त में प्रदर्शित करेगा, देश का दूरदर्शन नेटवर्क नियमित साप्ताहिक कार्यक्रम के अलावा पर्यावरण पर आधारित न्यूनतम 5 से 7 मिनट का कार्यक्रम प्रसारित करेगा। पर्यावरण को स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय स्तर पर एक अनिवार्य विषय बनाया गया है।

5. आपको भू–जल की क्षीणता और प्रदूषण संबंधी मुकदमे के लिए भी जाना जाता है, जिसमें शीर्ष अदालत ने केन्द्र सरकार को एक प्राधिकरण गठित करने के निदेश दिए, जिसे संपूर्ण भूमिगत जल को विनियमित करने और इसे संदूषित होने से बचाने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत विधिक शक्तियां अधिकृत की गई हों। आपके बाल–श्रम से जुड़े मुकदमे के परिणामस्वरूप पूरे देश में खतरनाक उद्योगों में बाल–श्रम पर प्रतिबंध लगा दिया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों को ऐसे बच्चों, जिन्हें श्रम करने के लिए बाध्य किया जाता है, की पहचान करने और इनके पुनर्वास की योजनाओं के साथ प्रस्तुत होने के आदेश दिए। आपके एक मामले के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निदेशों पर उड़ीसा के जेलों में बंद 194 बच्चे आजाद किए गए।

6. आपके मुकदमे भारत में पर्यावरण संबंधी विधि शास्त्र के विकास के प्रति उदाहरण बने तथा इसका असर अन्य देशों, विशेष कर दक्षिण एशिया पर पड़ा। आपके मुकदमों के द्वारा नई नीतियों और नियमों की स्थापना के अलावा प्रीकाशनरी प्रिंसिपिल, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपिल, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, प्रिंसिपिल ऑव एक्जेम्पलरी डैमेजेज, स्ट्रिक्ट एंड अब्सोल्यूट लायबिलिटी एंड इंटर–इंट्रा जनरेशनल प्रिंसिपिल की स्थापना की गई। न्यायालयों में पर्यावरण संबंधी कानूनी लड़ाईयों को लड़ने के अलावा आपने 3000 कि.मी. से भी अधिक क्षेत्र को ग्रीन–मार्च के माध्यम से कवर किया है और स्थानीय जनता तथा छात्रों को प्रेरित करके लगभग एक गिलियन पौधा रोपण करने में सफलता प्राप्त की है।

7. आपके द्वारा पर्यावरण, सांस्कृतिक विरासत एवं जनता के जीवन और स्वास्थ्य के लिए किए गए कार्यों को दुनिया भर में स्वीकार किया गया और प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें पर्यावरण के लिए यूनेप ग्लोबल 500 अवार्ड, 1993, जन सेवा के लिए जम्मू एवं कश्मीर का गवर्नर गोल्ड मेडल, पर्यावरण के लिए एशिया का द गोल्ड मैन एनवायरमेंटल प्राइज (1996), जनसेवा के लिए एशिया का रामन मैगसासे पुरस्कार (1997), पीपल ऑव द ईयर पुरस्कार 1998, लिम्का बुक ऑव रिकार्ड आदि शामिल हैं।

Shri Mahesh Chander Mehta

Shri Mahesh Chander Mehta is a lawyer by profession and a dedicated environmentalist by choice, whose mission is the protection of environment, people's life and health and cultural heritage. He is the pioneer of legal activism for environmental protection in India.

2. Born on October 12, 1946, Shri Mehta did his M.A in political science and Bachelor of Law from University of Jammu and started practice in the J&K High Court. During his stay in Jammu, he also remained active in social and political movements.

3. Shri Mehta's journey in Enviro-legal field began in 1983, when he started his practice in the Supreme Court of India. In early 1984, he visited the Taj Mahal for the first time, where he observed that the monument was getting yellow due to air pollution from nearby industries. This spurred him to file his first environmental case for the protection of Taj Mahal before the Supreme Court in 1984 and succeeded in getting landmark judgment/ orders for the protection of Taj Mahal alongwith four other world heritage sites, over 250 National and State protected monuments within Taj Trapezium, a 10,400 sq kms area, apart from protecting people's life and health from pollution.

4. Shri Mehta's other landmark cases were Ganga Pollution case , wherein on the direction of the Supreme Court a large number of industries were closed down / relocated and effluent treatment plants were set up and over 250 cities/ towns in the Ganga Basin were ordered to put sewage treatment plants. In Vehicular pollution case , the Supreme Court ordered for providing lead free petrol in India; compliance of Bharat standards 4 for vehicles and use of CNG and LPG as fuel for vehicles leading to make Delhi as the first city in the world to have complete public transport running on CNG. In Environment Education Case, the Apex Court ordered every Cinema theaters to exhibit two slides free of cost on environment in each show, Television networks in the country to televise, minimum 5 to 7 minutes programmes on environment apart from a regular weekly programme. Environment has been made a compulsory subject in schools, colleges and at University level.

5. Shri Mehta is also known for his Ground water depletion and pollution case wherein the Apex Court directed the Central Government to constitute an Authority invested with legal powers under the Environment Protection Act 1986 to regulate entire ground water and save it from contamination. His Child labour case led to a ban on Child labour in hazardous industries throughout the country. The Hon'ble Supreme Court directed all the States to identify children forced into labour and come out with schemes for their rehabilitation. 194 children languishing in Orissa jails were released on directions from the Supreme Court in his case.

6. Shri Mehta's cases led to the development of Environmental jurisprudence in India and had an impact on other countries especially south Asia. Through his cases the Precautionary Principle, Polluter Pays Principle, Public Trust Doctrine, Principle of Exemplary Damages, Strict and Absolute Liability and Inter- Intra Generational Principle have been established apart from new policies and rules. Apart from handling Environmental legal battles in the Courts, Sh. M.C. Mehta has covered more than 3000 kms by way of Green Marches and succeeded in getting about a million trees planted by mobilizing local people and students.

7. Shri Mehta's work for the Environment, cultural heritage and peoples' life and health has been acknowledged all over the world and has been given prestigious Awards including- UNEP Global 500 Award 1993 for Environment, Governor Gold Medal, J&K, for public service, The Goldman Environmental Prize for Environment, for Asia (1996), Ramon Magsaysay Award for Asia for Public Service (1997), People of the Year Award 1998, LIMCA Book of Record.